

विद्यालय - MAHESHWARI PUBLIC SCHOOL (P66920)

मान्यता कोड : RJBKN31391

आवेदन क्रमांक : 36727

प्रारूप - 2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी BIKANER, राजस्थान

क्रमांक: 872

दिनांक 20-03-2021

सचिव

प्रबंध समिति

MAHESHWARI PUBLIC SCHOOL

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा याते आदि) (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप- नियम(4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 36727 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पक्षात्वर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, MAHESHWARI PUBLIC SCHOOL पता GAJNER ROAD, BIKANER ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NN_BIKANER ब्लॉक BIKANER को शैक्षिक सत्र 2020-21 से निष्पानुसार मान्यता मंजूर करता है-

मान्यता का प्रकार	नवीन मान्यता कक्षा (1-8)
मान्यता का माध्यम	English
मान्यता के वर्ष से ही कक्षा 7 एवं 8 के संचालन की अनुमति	Yes

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रा.शि., बीकानेर
DDO.No.-101190, ID-1569



ATtested
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ.)
INDIA
03 JUN 2022.

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी BIKANER , राजस्थान

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अंतर्निहित नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्ण विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस - पड़ोस के कागजोर वर्ग और अभावप्रत समूह से सम्बद्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एवं पृथक बैंक खाता रखेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी।
5. सोसाइटी विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छाती (Screening) प्रक्रिया का पात्र नहीं बनाएगा।
6. विद्यालय आपु के संबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि
 - (I) विद्यालय में प्रावृद्ध किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (II) कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्तीर्णन का पात्र नहीं होगा।
 - (III) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण कराना अपेक्षित नहीं होगा।
 - (IV) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा- अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (V) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियोजितावधीन अवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए।
 - (VI) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकथित घूनतम अहताओं सहित भर्ती किये जाए।
 - (VII) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।
 - (VIII) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेगी।
 7. विद्यालय सम्मुचित पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर पाठ्य विवरण(Syllabus) का अनुसरण करेंगे।
 8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करता है एवं आगे भी करता रहेगा।
 9. विद्यालय परिसर के भौतिक और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं बतायी जायेंगी।
 10. विद्यालय खत्म या अन्य संस्करण या सेवान के बाल शिक्षा और कोशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
 11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तस्मय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक या सारा बताया जाता है।
 12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं बताया जाता है।
 13. किसी चार्टेड एकाउंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार सम्मुचित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिनकी निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी।
 14. इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।
 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय- समय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जायें।
 16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
 17. विद्यालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेजर का उपयोग करेगा।
 18. अन्य शर्तें जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जाएंगी, मान्य होंगी।

30/M
जिला शिक्षा अधिकारी
(विद्यालय) जा.शि. बीकानेर
DDO.No.-101190.ID-1569

APPROVED
CENTRAL LEVEL
BIKANER/RJS
03 JUN 2022.

महेश्वरी - MAHESHWARI PUBLIC SCHOOL (P66920)

आवेदन क्रमांक : 36727

शास्त्रोत्तर कोड : RJBKN31391

प्रारूप - 2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी BIKANER, राजस्थान

ZAMW

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रा.शि., बीकानेर
DDO.No.-101190, ID-1569

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुननार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 2 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- 3 बीरहा शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सदिकालय, जयपुर।
- 4 राष्ट्रीय पत्रावली।

ZAMW

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रा.शि., बीकानेर
DDO.No.-101190, ID-1569



ATTESTED
Smruti
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ.)
INDIA

03 JUN 2022